न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:–16 / 2025
निर्णय दिनांक:–31.01.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मैंदवास हाल निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री गोपाल लाल चौधरी अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:–31.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादगस्त आराजी खतौनी सं० 86 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1572, 1574, 1679 / 1575 कुल किता 3 कुल रकबा 5.7408 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1 / 112 व खाता संख्या 85 में वर्णित आराजी ख०न० 1573, 1581 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1 / 112 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि वाके ग्राम कांस्या पटवार हल्का मैंदवास तहसील फागी जिला जयपुर व खतौनी संख्या 124 में वर्णित आराजी ख0न0 1106, 1117, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1159, 1773, 1774, 1778, 1886, 2676 / 860 कुल किता 14 कुल रकबा 7.4098 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1 / 112 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, खाता संख्या 292 में वर्णित ख0न0 1030 / 1, 1034, 1042, 1043, 1044 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3658 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1 / 16 दर्ज राजस्व रिकार्डहै, खाता संख्या 604 में वर्णित ख०न० 1029, 1031. 1032 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2024 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1 / 32 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, भूमि वाके ग्राम मैंदवास पटवार हल्का मैंदवास भू०अभि०नि०क्षेत्र मैंदवास तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर वादिया काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाती चली आ रही है। विवादगस्त आराजी वादिया को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है. वरवक्त विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय वादिया नाबालिक थी,

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम के आगे नाबालिक दर्ज कर दिया गया। तथा वरवक्त नामान्तकरण भरते समय घरेलू बोलता नाम काला पुत्री रामकिशन के नाम से गलत भर दिया गया था. क्योकि वादिया वरवक्त विरासत के नामान्तकरण भरते समय नाबालिक थी तथा गांव के व परिवार के लोगों ने घर पर प्यार से बोले जाने नाम वादिया को काला पुत्री रामकिशन के नाम से हीविरासत का नामान्तकरण पटवार हल्का से भरवाकर तस्दीक करवा दिया गया, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम काला पुत्री रामकिशन ही चला आ रहा है। लेकिन वादिया व उसके दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, व बैंक पास बुक वादिया का नाम सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल दर्ज है, एवं इसीअनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु वादिया को सामान्य बोलचाल व घर में प्यार से काला पुत्री रामकिशन दर्ज कर दिया है, इसलियें न्यायहित में वादिया का नाम काला पुत्री रामकिशन के स्थान पर सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादिया को काला व सरिता, दोनों नामों से ही जाना जाता है. जबकि दोनों नामों का मैं वादियाएक ही महिता है, इस नाम के अलावा इस ग्राम में इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिये वादियाका नाम काला पुत्री रामकिशन के स्थान पर सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादिया वरवक्त नामान्तकरण नाबलिक थी, इसलिये रिकार्ड में वादिया का नाम काला पुत्री रामकिशन जरिये सरक्षक सरपरस्त माता बरदी देवी पत्नि रामकिशन के नाम से खोला गया था, लेकिन अब वादिया वर्तमान में बालिक हो चुकी है। इसलिये खाता संख्या 86 ग्राम कांस्या में वर्णित आराजी में वादिया के नाम के आगे दर्ज नाबालिक काला पुत्री रामकिशन जरिये सरक्षक सरपरस्त माता बरदी देवी पत्नि रामकिशन के स्थान पर बालिग सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादिया उक्त आराजीयात में दुरस्ती इन्द्राज करवाने की कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 25.01.2025 को वादिया ने अपनी खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर अपने नाम2 की जानकारी हुई पटवारी हल्का को कहां कि कि मुझ वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में सरिता पुत्री रामकिशन के स्थान पर काला पुत्री रामकिशन गलत दर्ज है, जिसे सहीं किया जावें जिस पर पटवारी हल्का ने काला पुत्री रामकिशन के स्थान पर सरिता पुत्री रामकिशन सही नाम करने से इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादिया द्वारा उक्त वाद दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादिया का वाद कारण दिनांक 25.01.2025. को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
कोटी, जयपुर

न्यायालय में दावा पेश करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादिया का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित नही हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम कांस्या मे स्थित खाता सं0 85 उक्त विवादग्रस्त आराजी काला पुत्री रामकिशन के नाम हिस्सा 1/112 व 86 में भूमि में प्रार्थीया नाबालिग काला पुत्री रामकिशन के नाम हिस्सा 1/112 दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2072–2075 वाके ग्राम मैंदवास में स्थित खाता सं. 124 में वादीया काला पुत्री रामकिशन हिस्सा 1/112 तथा खाता सं. 292 में काला पुत्री रामकिशन हिस्सा 1/16 तथा 604 में काला पुत्री रामकिशन हिस्सा 1/32 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजात यथा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, राशननकार्ड, बैंक पासबुक मे ;भी प्रार्थीया का नाम सरिता पत्नि भंवरलाल अंकित है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 86 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1572, 1574, 1679/1575 व खाता संख्या 85 में वर्णित आराजी ख०न0 1573, 1581 भूमि वाके ग्राम कांस्या तहसील फागी जिला जयपुर व खतौनी संख्या 124 में वर्णित आराजी ख0न0 1106, 1117, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1159, 1773, 1774, 1778, 1886, 2676/860, खाता संख्या 292 में वर्णित ख0न0 1030/1, 1034, 1042, 1043, 1044, खाता संख्या 604 में वर्णित ख०न० 1029, 1031. 1032 भूमि वाके ग्राम मैंदवास के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन काला पुत्री रामकिशन के स्थान पर सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल जाति जाट दुरूस्त किये जाने व ग्राम कांस्या में खाता सं0 86 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया का नाम नाबालिक काला पुत्री

लगातार..............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

सरिताबनाम तहसीलदार
मु0न0:–16 / 2025
निर्णय दिनांकः–31.01.2025

(4)

रामकिशन जरिये संरक्षक सरपरस्त माता बरदी देवी पत्नि रामकिशन के स्थान पर बालिग सरिता पुत्री रामकिशन पत्नि भंवरलाल राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्त किये जाने के आदेष तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जयपुर

सत्यमेव जयते